अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल ।

वाद सं0- 469/ 2012, धारा-188 भा0द0वि0

तीजु शर्मा बनाम राम सागर शर्मा वगैरह

आ दे श

18/12/12

प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर प्रारम्भ कर द्वितीय पक्ष से स्पष्टीकरण की माँग करते हुए सूचना निर्गत किया गया । एवं प्राप्त आवेदन पर थाना-ध्यक्ष, अरवल से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी- अपनी बात रखे । तथा द्वितीय पक्ष की ओर से कारण-पृच्छा भी समर्पित किया गया।

थानाध्यक्ष, अरवल द्वारा डी॰आर॰ नं0-922/12, दिनांक- 04/06/12 से जो प्रतिवेदन समर्पित कियागया है, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि धारा- 188 भा0 द0 वि0 की कार्यवाही

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	-2- ~~ही [illegible] हो चुका है~~ का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि धारा-144 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही नहीं समाप्त हो चुका है । अतः प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन एवं द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल लिखित-बहस एवं धारा-144 द0 प्र0 सं0 का पारित आदेश की छाया प्रति के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । आदेश से विद्वान अधिवक्ता को अवगत करावें । लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल । (हस्ताक्षर) अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल कार्यपालक दण्डाधिकारी, अरवल ।	